संख्याः / ।।।(2)16–14(सामान्य)/2016

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

लोक निर्माण विभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 15 जुलाई, 2016

विषयः 60 मीटर से अधिक लम्बाई के सेतुओं को निर्माण हेतु उत्तराखण्ड अवस्थापना विकास निगम को हस्तान्तरित किए जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या–235/86 याता0'क'/2016 दिनांक 10 मई, 2016 एवं पत्र संख्या–358/86 याता0'क'/16 दिनांक 14 जून, 2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विभागान्तर्गत स्वीकृत 60 मीटर से अधिक स्पान 04 मोटर सेतु तथा 06 पैदल सेतुओं, जिनकी प्रथम चरण से संबंधित कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गयी है, को चिन्हित कर निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग से राज्य अवस्थापना विकास निगम को हस्तान्तरित किए जाने का प्रस्ताव किया है।

2– इस संबंध में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभाग द्वारा प्रस्तावानुसार चिन्हित 60 मीटर से अधिक स्पान के 04 मोटर सेतु तथा 06 पैदल सेतुओं, जिनमें अभी निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है, को समग्र रूप से निर्माण हेतु राज्य अवस्थापना विकास निगम लि0, देहरादून को हस्तान्तरित किये जाने की अनुमति एतदद्वारा प्रदान की जाती है। कृपया तदनुसार राज्य अवस्थापना विकास निगम लि0, देहरादून के साथ समन्वय स्थापित कर उक्त सेतुओं से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख (स्वीकृत आगणन, प्रस्तावित/अनुमोदित डिजाइन आदि) एवं कार्यस्थल निर्धारित प्रक्रियानुसार निगम को हस्तान्तरित किये जाने हेतु अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र सुनिश्चित करते हुये प्रगति से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

पृष्ठांकन सं0 : —— / ।।।(2)16–14(सामान्य)/2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लि0,देहरादून ।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह पांगती)
उप सचिव।

letter ds pwd